

फॉर्म अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

डा. ली. काई

बनाम

जी. वी.

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 120 एल.आर.एक्ट. नम्बर... 162/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/04/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 120 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>डा. ली. काई</u></p> <p>व/पे मिता श्री <u>अल्लाम जार</u></p> <p>निवासी- <u>खरखेडा</u> तहसील <u>बूखी</u> जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>खरखेडा (पट्टा नम्बर 306/16)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>306/16</u></p> <p>कूल कीता <u>01</u> कूल रकबा <u>1.2400</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>खरखेडा (पट्टा नम्बर 306/16 तह. बूखी)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>306/16</u></p> <p>कूल कीता <u>01</u> रकबा <u>1.2400</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सैटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000.00</u> रुपये अक्षरे <u>एच. ए. आर. 2024</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>